

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौ

दिनांक	फर्द अहकाम
9/12/25	<p>पत्रावली पेश हुई थी वार वार आवण दिलाने के उपरान्त भी सापला एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। कर: मु० नं० 144/2022 उन्वानी पमीला बनाम डॉ० प्रकाश वर्गेष्ठु पार्थिव पर अस्वार्थ विवेधाज्ञा अडम फेरवी अडम हाजरी में खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 28/6/22 को जारी आन्तरिक स्वगत कोडेश विद्वेष किमं जगते है। पत्रावली फंसल सुभार होकर बचक तकमील नम्बर के कम की जाकर मूल दावा के साथ शाफिल मिसल रहे। कोडेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी</p>